ह्यूमन राइट्स समाचार

● अंक 24 ● सं. 1 ● जनवरी, 2017 Visit us at : www.nhrc.nic.in

सम्पादक की कलम से

मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य से दिसम्बर माह विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण रहा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकृत किया गया था, प्रत्येक वर्ष 10 दिसम्बर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि मानव अधिकार प्रत्येक मनुष्य के जन्मजात अविच्छेद्य अधिकार हैं। लोगों को अवश्य ही न केवल अपने मानव अधिकारों बल्कि दूसरों के अधिकारों के हनन के विरूद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। कदाचित यह अधिक संतोषप्रद अनुभव होगा तथा जब हमारा इस प्रकार का अंतः करण होगा, तब सबसे पहले दूसरों के अधिकारों के हनन करने वाली बातों अथवा कार्यों के लिए कोई कारण नहीं रह जाएगा।

निजी अथवा सार्वजनिक जीवन में मानव अधिकारों के हनन के कारण अथवा साधन बनने से बचने के लिए आत्मनिरीक्षण की दिशा में जाना, संभवतः मानव अधिकार दिवस मनाने के प्रथागत समारोह का असली सार है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री एच.एल.दत्तू ने 'मानव अधिकार दिवस' की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में बेहद उपयुक्त कहा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना एवं मौलिक अधिकार एवं राज्य नीति के निदेशात्मक सिद्धांत से संबंधित अनुच्छेद, मानव अधिकारों के संरक्षण को राज्य का संवैधानिक बाध्यता के साथ–साथ नागरिकों के कर्त्तव्य बनाते हैं।

उनकी टिप्पणी, यदि कोई नोटबंदी की पृष्ठभूमि में पढ़ना चाहे तो, यह मानव अधिकारों के विषयों को प्रेरित करती है, जैसा कि मीडिया के एक वर्ग ने रिपोर्ट किया, प्रासंगिक बन गया कि "देश के सुधार हेतु कथित तौर पर अच्छी भावना से की गई कार्रवाई, नीति अथवा कानून, उस समय व्यर्थ हो जाएगा, यदि उसका कार्यान्वयन मानवीय कारक अथवा लोगों के सहयोग के बिना किया जाए।"

हमने देश में मानव अधिकार आयोग के हितकर प्रभावी चरण को पार कर लिया है क्योंकि इसने अब दो दशक से ज्यादा पूर्ण कर लिए हैं। इसकी संस्तुतियों की कार्यान्वयनता के अनुभव से इसको अधिक सुदृढ़ करने के लिए मांग बढ़ती जा रही है। इस प्रकार की मांगें तब अधिक विश्वसनीय हो जाती हैं जब ऐसे ही सुझाव प्रख्यात न्यायविदों से आते हैं।

भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा वर्तमान में केरल के राज्यपाल न्यायमूर्ति श्री पी. सदाशिवम, आयोग के मानव अधिकार दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, उन्होंने पुरजोर अपील की कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम को संशोधित करने के लिए गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, ताकि आयोग इसकी संस्तुतियों के निष्पादन हेतु सक्षम होने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त हो सके। पिछले वर्ष भारत के मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति श्री टी. एस. ठाकुर इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, उन्होंने भी कहा कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

न्यायमूर्ति दत्तू स्वयं भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, उन्होंने कुछ अवसरों पर यह भी व्यक्त किया है कि पीड़ित अथवा पीड़ित के नजदीकी रिश्तेदार को वित्तीय राहत हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार की संस्तुतियों का सरकारों द्वारा उसे मानने या न मानने के अंतिम चुनाव करना, मानव अधिकारों के हनन के पीड़ित को न्याय की दृष्टि से कुछ हद तक आयोग के प्रयास को व्यर्थ कर देता है।

इस प्रकार की टिप्पणियों के आलोक में, समय के साथ, इस विषय को बारीकी से जांचा गया तथा इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए न्यूजलेटर के नवम्बर, 2016 अंक के संपादकीय में इस पर टिप्पणी की गई थी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग न तो कानून का न्यायालय है, न ही कोई सरकारी विभाग है बल्कि निश्चित तौर पर एक अर्द्ध–न्यायिक निकाय है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जैसी संस्था से सरकार की मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु मंशा का उद्देश्य अधिक सार्थक होगा, यदि इसे इस प्रकार से सुदृढ़ किया जाए जिससे न तो न्यायलयों, न ही सरकारों के क्रियाकलापों में टकराव हो बल्कि इससे सुशासन में मदद हो, जहां यह सुनिश्चित हो कि पीड़ित को कुछ राहत मिले तथा मानव अधिकारों के हनन के दोषी व्यक्ति को आजाद नहीं छोड़ा जाए।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मानव अधिकार दिवस मनाया

मानव अधिकार दिवस के अवसर पर दीप प्रज्जवलित करते हुए मुख्य अतिथि तथा केरल के राज्यपाल न्यायमूर्ति श्री पी. सदाशिवम, साथ में हैं सम्मानित अतिथि तथा मेग्सेसे पुरस्कार विजेता श्री बेजवाड़ा विल्सन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री एच.एल.दत्तू, सदस्यगण न्यायमूर्ति श्री सिरियक जोसफ, न्यायमूर्ति श्री डी. मुरूगेशन एवं श्री एस.सी.सिन्हा।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 10 दिसम्बर, 2016 को नई दिल्ली में मानव अधिकार दिवस समारोह का आयोजन किया। मुख्य अतिथि के रूप में सभा को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति श्री पी. सदाशिवम, केरल के राज्यपाल तथा भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायधीश ने कहा कि देश में मानव अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अनेक कानूनों एवं उनके विषय में जागरूकता की कमी तथा कानून व्यवस्था की अपर्याप्तता तथा विधिक सेवा प्राधिकारियों से अपर्याप्त समर्थन पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति श्री पी. सदाशिवम

इस अंक में यह भी देखें

- श्री एच. एल. दत्तू, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत का मानव 4
- मानव अधिकार समर्थक दिवस पर आयोग... 4
- स्वतः संज्ञान 5
- महत्वपूर्ण हस्तक्षेप 6
- राहत के लिए संस्तुति 6
- रा.मा.अ.आ. की संस्तुतियों का अनुपालन 7
- पुडुचेरी में जन सुनवाई एवं शिविर.... 7
- 'सुशासन, विकास एवं मानव अधिकार'.... 8
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की शीत.... 8
- अन्य महत्वपूर्ण दौरे/संगोष्ठी/कार्यक्रम/सम्मेलन 8
- दिसम्बर, 2016 में प्राप्त/निपटाई गई शिकायतें (पूर्व आंकलन के अनुसार) 8

सभा को संबोधित करते हुए सम्मानित अतिथि श्री बेजवाड़ा विल्सन

उन्होंने मानव अधिकारों के संवर्द्धन एवं संरक्षण की दिशा में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका की प्रशंसा की। हालांकि उन्होंने कहा कि आयोग को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सुधार की मांग करने के लिए सरकार के माध्यम से संसद से संपर्क करने पर विचार करना चाहिए ताकि यह अपनी संस्तुतियों के निष्पादन में सक्षम हो सके।

श्री बेजवाडा विल्सन, सफाई कर्मचारी आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक तथा मैग्सेसे पुरस्कार विजेता, ने सम्मानित अतिथि के रूप में दिए गए अपने वक्तव्य में कहा कि अनेक प्रयासों के बावजूद भी सफाई के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के अधिकारों एवं गरिमा को बनाए रखने की आवश्यकता के विषय में जागरूकता उत्पन्न करने की अभी भी आवश्यकता है।

इससे पूर्व सभा को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति श्री एच. एल. दत्तू, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने कहा कि आयोग कार्य, समर्पण एवं निरंतरता की भावना का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि हमारे देश के लिए – आजादी, न्याय एवं समानता की दृष्टि से प्राप्ति के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। उन्होंने विश्वास

सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव डॉ. एस. एन. मोहन्ती

जताया कि मानव अधिकारों को जीवन के तरीके के साथ समाविष्ट करके गरीबी, अनभिज्ञता, पूर्वाग्रह तथा हमारे समाज के भीतर लिंग, जाति, धर्म, अशक्तता एवं अन्य प्रकार पर आधारित भेदभाव के सामाजिक कंटक के उन्मूलन हेतु एक मूलभूत परिवर्तन किया जा सकता है।

मानव अधिकार दिवस की प्रासंगिता पर प्रकाश डालते हुए न्यायमूर्ति दत्तू ने सभी से मानव अधिकारों के संरक्षण एवं मानव

सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री एच.एल.दत्तू

गरिमा के संवर्द्धन तथा देश के सभी नागरिकों के अलंघनीय अधिकारों के संरक्षण हेतु हमारे संविधान तथा मानव अधिकारों की

रा.मा.आ. की लघु फिल्म पुरस्कार के विजेता (बांए से दाएं) सर्वश्री, अनुज एस.आर, रिमविक

सार्वभौमिक घोषणा में प्रतिष्ठित सिद्धांतों एवं आदर्शों को कायम रखकर न्यायसंगत समाज की प्राप्ति की दिशा में कार्य करने की शपथ लेने का आग्रह किया।

यूएन महासचिव बान की मून ने मानव अधिकार दिवस के अवसर पर अपने संदेश, जो कि श्री राजीव चंद्रन, द्वारा पढ़ा गया

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रकाशनों का लोकार्पण करते हुए न्यायमूर्ति श्री पी. सदाशिवम

यू.एन. महासचिव के संदेश को पढ़ते हुए यू.एन.आई.सी. के प्रतिनिधि श्री राजीव चंद्रन

था, में कहा कि "सभी के हित में मानव अधिकारों को कायम रखें। मानव अधिकारों के लिए आदर प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण, सारे समाज में स्थिरता तथा हमारे अंतरराष्ट्रीय विश्व हेतु सौहार्द को बढ़ाता है।" संघर्षों की बहुलता के समय, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, हमें मनुष्यों के जीवन में आजादी, न्याय एवं शांति के महत्त्व की याद दिलाती है। उन्होंने कहा कि लोगों को

दास एवं सोमनाथ चक्रवर्ती मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति श्री सदाशिवम से पुरस्कार ग्रहण करते हुए

दूसरों के अधिकारों के लिए अवश्य खड़े होना चाहिए।

मानव अधिकार दिवस समारोह को मनाने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की मानव अधिकारों पर लघु फिल्म पुरस्कार योजना–2016 के विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। इसमें प्रथम पुरस्कार केरल के श्री अनुज एस.आर. द्वारा निर्मित

फोटो एवं पेंटिंग प्रदर्शनी का भ्रमण करते हुए मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति श्री पी. सदाशिवम साथ में न्यायमूर्ति श्री एच.एल.दत्तू

'ब्लैक एण्ड व्हाइट' को एक लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार श्री रिमबिक दास द्वारा निर्मित 'टमलिंग स्ट्रीट' को 75 हजार रुपये

दर्शकों का एक वर्ग, जिसमें आयोग के पूर्व अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री के.जी.बालाकृष्णन, न्यायधीशगण एवं अन्य गण–मान्य व्यक्ति शामिल हैं

तथा तृतीय पुरस्कार 50 हजार रुपये दिया गया। इनमें से प्रत्येक को प्रमाण–पत्र एवं ट्रॉफी भी दी गई।

न्यायमूर्ति श्री सदाशिवम ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के चार प्रकाशनों जिसमें दो पत्रिकाएं शामिल हैं जिसमें हिंदी व अंग्रेजी में विभिन्न प्रख्यात व्यक्तियों द्वारा मानव अधिकार विषयों के विभिन्न पहलुओं पर आलेख होते हैं, का लोकार्पण किया। उन्होंने राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस को मनाने के लिए आयोग की फोटो एवं बच्चों की पेंटिंग प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया।

इस अवसर पर अन्य व्यक्तियों के साथ–साथ अनेक महत्त्वपूर्ण पदाधिकारियों जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों, आयोग के भूतपूर्व सदस्यों, वीरेन्द्र दयाल एवं श्री सुदर्शन अग्रवाल, न्यायमूर्ति सुजाता वी. मनोहर तथा राज्य मानव अधिकार आयोगों

दर्शकों का एक वर्ग, जिसमें आयोग के पूर्व सदस्यगण शामिल हैं

के अध्यक्ष एवं सदस्यों, यूएन प्रतिनिधियों, राजपूतों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, नागरिक समाज प्रतिनिधियों, अर्द्ध–सैनिक बलों के सदस्यों, मीडियाकर्मियों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया।

श्री एच. एल. दत्तू, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत का मानव अधिकार दिवस पर संदेश

"आगामी काल 10 दिसम्बर को मानव अधिकार दिवस है। वर्ष 1948 में इस दिन को, संयुक्त राष्ट्र की महा सभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकृत तथा उद्घोषित किया। इस सार्वभौमिक घोषणा की स्मृति के रूप में ही यह दिन प्रत्येक व्यक्ति के मानव अधिकारों की रक्षा तथा दूसरे के अधिकारों का सम्मान करने के प्रति समर्पित है।

इस वर्ष मानव अधिकार दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार कार्यालय द्वारा "दूसरे के अधिकारों के लिए खड़े हों" का विषय एवं प्रतीक वाक्य जारी किया गया जो मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के मूलतत्व एवं महत्व को उपयुक्त रूप से उद्घोषित करता है। साधारण भाषा में, यह प्रतीक वाक्य, यही बतलाता है कि : शांति एवं सौहार्द के साथ जीवन जीना, दूसरे के अधिकारों के लिए अनुकम्पा एवं सहानुभूति तथा आपसी सहअस्तित्व के विचार के प्रति सम्मान व्यक्त करना कितना महत्वपूर्ण है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना तथा मूल अधिकारों से संबंधित धाराएं एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त साथ मिलकर राज्य के लिए संवैधानिक जिम्मेदारी तथा नागरिकों के लिए कर्त्तव्य साबित करते हैं।

अतः देश को बेहतर बनाने के लिए की गई कोई कार्रवाई, नीति या विधि तब अर्थहीन हो जाती है जब मानवीय मूल्य एवं आपसी सहयोग की भावना को दर किनार किया जाए।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना वर्ष 1993 में मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण हेतु की गई। मानव अधिकार दिवस की इस संध्या पर, देश के प्रत्येक व्यक्ति के मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के इस लक्ष्य हेतु हम पुनः समर्पित होते हैं।

"हमारे देश की प्रगति एवं विकास की हमारी लालसा में चलिए हम आपस में मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ प्रत्येक देशवासी के मानव अधिकारों का सम्मान एवं संरक्षण हो सके।"

मानव अधिकार समर्थक दिवस पर आयोग के अध्यक्ष का संदेश

"आज 9 दिसम्बर के दिन जब संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1998 में मानव अधिकार समर्थक उद्घोषणा को अंगीकार किया गया था, में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत मानव अधिकार समर्थक को अपने नीति का एक अहम हिस्सा बनाने के लिए और मजबूती प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है जिससे भारत एवं पूरी दुनिया में मानव अधिकार संस्कृति को और पुष्टता प्रदान की जा सके।

मानव अधिकार समर्थक मानव अधिकारों के लिए संघर्ष में हमेशा ही महत्त्वपूर्ण रहे हैं। हालांकि, उनके प्रयासों को मानव अधिकार समर्थकों के उद्घोषणा द्वारा बल मिला था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत भी अपने 1993 में स्थापना से ही मानव अधिकार समर्थकों को एक साझेदार मानते हुए मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है।

मानव अधिकार समर्थकों के लिए फोकल प्वाइंट का सृजन, वार्षिक रिपोर्ट में मानव अधिकार समर्थकों के ऊपर एक अध्याय को सम्मिलित करना, आयोग द्वारा लिए गए कुछ महत्त्वपूर्ण पहल हैं। आयोग मानव अधिकार समर्थकों के उत्पीड़न की अभिकथित शिकायतों को विशेष रूप से देखता है। इन शिकायतों को सही अनुवीक्षण तथा अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक विशिष्ठ वर्ग के रूप में पंजीकृत किया जाता है। आयोग विधि एवं गुण के आधार पर मानव अधिकार समर्थकों से संबंधित शिकायतों को देखते समय हर संभव प्रयास करता है जिससे उन्हें कारगर एवं उचित राहत प्रदान की जा सके।

आयोग ने दिनांक 19 फरवरी, 2015 को मानव अधिकार समर्थकों पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। उस विचार विमर्श में बड़ी संख्या में पदाधिकारियों ने भाग लिया तथा अनिवार्य सिफारिशें की। आयोग का यह प्रयास रहेगा कि मानव अधिकार समर्थकों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के संबंध में दिए गए सुझावों पर पदाधिकारियों द्वारा कार्रवाई हो सके। आयोग मानव अधिकार समर्थकों की समस्याओं एवं गतिरोधों को समझने के लिए सभी स्तरों पर उससे विचार विमर्श करता है देश में विभिन्न कार्यक्रमों/सभाओं में सम्मिलित होकर आयोग मानव अधिकार समर्थकों के फोकल प्वाइंट द्वारा गैर सरकारी संगठनों/मानव अधिकार समर्थकों से मुलाकात करता रहता है। इसके अलावा आयोग की शिविर बैठक/जन सुनवाई में यह गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों एवं मानव अधिकार समर्थकों से एक विशेष विचार विमर्श सत्र का आयोजन करता है। इन विचार विमर्शों के दौरान प्राप्त सुझावों पर आयोग गंभीरता से विचार करता है तथा उन्हें हो रही समस्याओं के समाधान हेतु हर संभव कदम उठाए जाते हैं।

आयोग ने "एन एच आर सी एण्ड हूमन राईटस डिफेंडर्स "द ग्रोईंग सीनर्जी" नामक पुस्तक का प्रकाशन किया जिसका लोकार्पण भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा 10 दिसम्बर 2013 को अर्थात् मानव अधिकार दिवस के अवसर पर किया गया। इस पुस्तक में मानव अधिकार समर्थकों के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन राष्ट्रीय मानव अधिकर आयोग की भूमिका में विस्तार से वर्णन है। यह बहुत ही खुशी की बात है कि अकादमियों एवं वकीलों सहित सभी पणधारियों द्वारा इसकी सराहना की गई है।

अभी हाल ही में, आयोग द्वारा उठाया गया महत्त्वपूर्ण कदम विदेश वितरण विनियम अधिनियम (एफ.सी.आर.ए.) के तहत गैर सरकारी संगठनों/एच. आर.डी. के कुछ लाइसेंसों को नवीनीकरण न करना था। इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए, आयोग ने संघ और विधानसभा की स्वतंत्रता पर संयुक्त राष्ट्र

विशेष संपर्ककर्त्ता की रिपोर्ट पर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया है जिसमें यह तर्क दिया कि एफ.सी.आर.ए. संघ की आजादी के अधिकार के विदेशी फंडिंग का मूल हिस्सा सहित अंतरराष्ट्रीय कानून, सिद्धांतों एवं मानकों का अनुपालन नहीं कर रही हैं। विदेशी फंडिंग के लिए इस तरह की किसी परिमितता (क) विधि द्वारा विहित (ख) राष्ट्रीय सुरक्षा, लोक सुरक्षा, लोकादेश, जन स्वास्थ्य या नैतिक अथवा अन्य लोगों के अधिकार एवं आजादी की रक्षा (ग) लोकतांत्रिक समाज में आवश्यकता जैसे अधिकार एवं दूसरों की आजादी के रूप में होनी चाहिए।

आयोग ने प्रथम दृष्टया यह माना कि एफ.सी.आर.ए. के कानून का नवीनीकरण न करना न तो कानूनी है और न ही विषयाश्रित एवं जिसके फलस्वरूप एच.आर.डी. के अधिकारों का अतिक्रमण करता है। आयोग ने सचिव (गृह), भारत सरकार को नोटिस जारी कर उन गैर–सरकारी संगठनों के बारे में सूचना मांगी है जिनके लाइसेंसों का पिछले तीन वर्षों में नवीनीकरण नहीं किया तथा यू. एन. विशेष संपर्ककर्त्ता द्वारा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एण्ड असेम्बली पर दिया गया लिटमस टेस्ट केंद्र सरकार द्वारा अधिनिर्णय में कैसे लागू हो सकता है तथा यह प्रमाणित करने कि जातिगत पहलु विदेशी फंडिंग की प्राप्ति तथा इसे जारी रखने से संगठन बनाने के अधिकार समान नहीं है तथा अंतरराष्ट्रीय कानून, मानकों एवं सिद्धांतों के विरूद्ध नहीं है। आयोग बारीकी से इस मामले पर कार्यवाही कर रहा है।

आयोग छत्तीसगढ़ में अकादमियों एवं मानव अधिकार कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाने की कथित घटना से काफी आहत हुआ। इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए, आयोग ने यह महसूस किया कि छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से यह बहुत परेशान है एवं यह मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार एवं आई.जी.पी., बस्तर क्षेत्र के पास यह मुद्दा उठाया है।

अतः आयोग इस बात को दोहराना चाहेगा कि देश में मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के आयोग के प्रयास में मानव अधिकार समर्थक एक बेहतर भूमिका निभाता है। मानव अधिकार समर्थकों के वास्तविक हित की रक्षा होनी चाहिए एवं राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि मानव अधिकार समर्थकों के लिए एक सुरक्षित एवं सुकर वातावरण का निर्माण करें, जिससे कि मानव अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्द्धन हो सके। आयोग मानव अधिकार समर्थकों एवं सिविल सोसायटी को भी यह समझाना चाहता है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि राष्ट्र हित सबसे ऊपर है एवं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

आयोग राज्य तंत्रों जैसे पुलिस, सेना, सशस्त्र बलों इत्यादि का दिल से धन्यवाद देना चाहता है जो भारत के नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा के अधिकार की रक्षा हेतु अपना जीवन न्यौछावर करते हैं।"

स्वतः संज्ञान

आयोग ने दिसम्बर, 2016 के दौरान मीडिया द्वारा रिपोर्ट किए गए कथित मानव अधिकारों के हनन के 3 मामलों में स्वतः संज्ञान लिया तथा रिपोर्ट हेतु संबंद्ध प्राधिकारियों को नोटिस जारी किए। कुछ मामलों का सार निम्नलिखित है :–

मीड–डे–मील के गर्म टब में गिरने से एक बच्चे की मौत (मामला संख्या 1014/38/7/2016)

मीडिया ने रिपोर्ट की कि दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 को नालगोण्डा, तेलंगाना में एक प्राथमिक विद्यालय में मीड–डे–मील परोसने के वक्त गर्म सांभर से भरे टब में जयवर्द्धन नामक एक पांच वर्षीय बच्चा गिर गया तथा उसी रात हैदराबाद के ओसमानिया अस्पताल में 80 प्रतिशत जलने से उसकी मौत हो गई। आयोग ने इस संबंध में मुख्य सचिव, तेलंगाना सरकार को नोटिस जारी कर उनसे इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट के साथ–साथ भविष्य में इस तरह के घटना की रोकथाम हेतु की गई कार्रवाई के बारे में सूचित करने को कहा।

आयोग ने यह महसूस किया कि यह घटना मासूम बच्चों की सुरक्षा की स्थिति पर सवालिया निशान खड़ा करती है, जहां अभिभावक सरकार द्वारा चलित विद्यालयों में छोटे बच्चों को भेजते हैं। विद्यालय के शिक्षकों एवं सहायक कर्मचारियों को चौकस एवं सावधान रहने के लिए सरकारी स्तर पर संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है, छोटे बच्चों के साथ व्यवहार करते समय अतिरिक्त सुरक्षा एवं देख–रेख की आवश्यकता पड़ती है। विद्यालय में बच्चों को भोजने परोसते वक्त स्थिति के संचालन एवं नियंत्रण के लिए जिम्मेदारी तय करनी होगी।

सबरीमाला मन्दिर में भगदड़ (मामला संख्या 682/1/15/2016)

मीडिया ने रिपोर्ट की कि दिनांक 25 दिसम्बर, 2016 को केरल में सबरीमाला मन्दिर में भगदड़ की वजह से 25 लोगों की मौत हो गई एवं दो की स्थिति दयनीय बनी हुई है। रिपोर्टानुसार, लॉर्ड अयप्पा के दर्शन के लिए तीर्थ यात्री घण्टों इंतजार कर रहे थे। कुछ लोगों ने भीड़ से निकलने की कोशिश की जिससे यह घटना घटी।

आयोग ने यह महसूस किया कि धार्मिक एवं आध्यात्मिक भीड़ को काबू करने के लिए जिम्मेदार प्रशासन एवं पुलिस प्राधिकारियों के कार्य निष्पादन पर सवालिया निशान खड़ा करने वाली यह पहली घटना नहीं है। हाल ही में, कोल्लम, केरल में अप्रैल 2016 के महीने में पुट्टींगल देवी मन्दिर में लगने वाली आग की वजह से सौ से ज्यादा लोगों की मौत हो गई।

आयोग ने इस संबंध में मुख्य सचिव, केरल सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। राज्य सरकार से भविष्य में घटने वाली इस तरह की घटनाओं की रोकथाम हेतु उठाए जाने वाले कदम के बारे में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में सूचित करने को कहा गया है। आयोग ने राहत की स्थिति, घायलों का पुर्नवास एवं मृत्त परिवारों के बारे में सूचना देने को भी कहा है।

महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप

राष्ट्रीय राजमार्गों पर फुटपाथ
(मामला संख्या 497/90/0/2016)

आयोग ने एक केदार सिंह नेगी, अधिवक्ता, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से एक पत्र प्राप्त किया जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ फुटपाथ की अनुपलब्धता का मुद्दा उठाया जिसका निर्माण एवं रख–रखाव राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। शिकायत के अनुसार इसकी वजह से वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों को गरिमापूर्ण तरीके से आने–जाने में काफी दिक्कत उठानी पड़ती है।

आयोग ने इस संबंध में अध्यक्ष, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं सचिव, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार को नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर विद्यमान नियम एवं दिशा–निर्देशों के साथ–साथ उनकी टिप्पणी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

राहत के लिए संस्तुतियाँ

आयोग के प्रत्येक सदस्यों द्वारा प्रतिदिन बड़ी संख्या में मामलों का निपटान करने के अलावा दिसम्बर, 2016 में पूर्ण आयोग की 02 बैठकों में 17 मामलों तथा खंडपीठ की 04 बैठकों में 68 मामलों पर विचार किया गया।

नीचे टेबल पर दिए गए 24 मामले जहां आयोग ने यह पाया कि लोक सेवक ने या तो मानव अधिकारों का उल्लंघन किया है या फिर उनके संरक्षण में लापरवाही बरती है वहां आयोग ने पीड़ितों अथवा उनके निकट संबंधियों को रु० 31.8 लाख की आर्थिक सहायता की सिफारिश की है।

Sl. No.	Case Number	Nature of Complaint	Amount Recommended (in ₹)	Public Authority
1.	1107/25/2/2011-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	पाँच लाख	पश्चिम बंगाल सरकार
2.	1272/25/5/2012-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	एक लाख	पश्चिम बंगाल सरकार
3.	961/33/9/2014-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	एक लाख	छत्तीसगढ़ सरकार
4.	1167/34/16/2012-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	पचास हजार	झारखण्ड सरकार
5.	1328/12/18/2013-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	एक लाख	मध्य प्रदेश सरकार
6.	2284/18/29/2013-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	पचास हजार	ओडिशा सरकार
7.	16511/24/60/2015-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	तीन लाख	उत्तर प्रदेश सरकार
8.	970/1/6/2012-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	एक लाख	आंध्र प्रदेश सरकार
9.	1521/4/4/2010-पीसीडी	हिरासत में मौत (पुलिस)	एक लाख	बिहार सरकार
10.	160/6/21/2013-पीसीडी	हिरासत में मौत (पुलिस)	एक लाख	गुजरात सरकार
11.	964/6/26/2011-पीसीडी	हिरासत में मौत (पुलिस)	एक लाख	गुजरात सरकार
12.	532/30/1/2014	हिरासत में यातना	पचीस हजार	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
13.	8934/30/6/2014	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा निष्क्रियता	तीन लाख	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
14.	2524/18/13/2013	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा निष्क्रियता	दो लाख	ओडिशा सरकार
15.	2976/18/3/2014	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा निष्क्रियता	पचास हजार	ओडिशा सरकार
16.	8527/18/4/2015	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा निष्क्रियता	एक लाख	ओडिशा सरकार
17.	9429/18/17/2015	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा निष्क्रियता	अस्सी हजार	ओडिशा सरकार
18.	41759/24/13/2013	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा निष्क्रियता	एक लाख	उत्तर प्रदेश सरकार
19.	3098/18/10/2014	कानूनी कार्रवाई में विफलता	पचास हजार	ओडिशा सरकार
20.	64/20/30/2015-WC	अपहरण, बलात्कार और हत्या	पचीस हजार	राजस्थान सरकार
21.	6507/30/2/2014	शक्ति का दुरूपयोग	पचीस हजार	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
22.	31226/24/21/2013	शक्ति का दुरूपयोग	पचीस हजार	उत्तर प्रदेश सरकार
23.	38292/24/21/2013	शक्ति का दुरूपयोग	तीन लाख	उत्तर प्रदेश सरकार
24.	532/33/14/2015-डब्ल्यूसी	सामूहिक बलात्कार	तीन लाख	छत्तीसगढ़ सरकार

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संस्तुतियों का अनुपालन

दिसम्बर, 2016 में आयोग ने अपनी सिफारिश के अनुसार विभिन्न लोक प्राधिकारियों से मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों अथवा उनके निकट संबंधियों को भुगतान के प्रमाण के साथ कुल 25.5 लाख रुपये की राशि की 17 अनुपालन रिपोर्टें प्राप्त की हैं।

Sl. No.	Case Number	Nature of Complaint	Amount Recommended (in ₹)	Public Authority
1.	2026/4/26/2015-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	तीन लाख	बिहार सरकार
2.	1822/13/3/2012-जेसीडी	हिरासत में मौत (न्यायिक)	एक लाख	महाराष्ट्र सरकार
3.	56/32/4/2011-पीसीडी	हिरासत में मौत (पुलिस)	तीन लाख	पुडुचेरी सरकार
4.	1228/13/14/2012-पीसीडी	हिरासत में मौत (पुलिस)	एक लाख	महाराष्ट्र सरकार
5.	30962/24/36/09-10-एडी	पुलिस हिरासत में कथित मौत	पाँच लाख	उत्तर प्रदेश सरकार
6.	7335/30/9/2013	शक्ति का दुरूपयोग	एक लाख	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
7.	2110/20/8/2014	कानूनी कार्रवाई में विफलता	दस हजार	राजस्थान सरकार
8.	2845/18/7/2014	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा निष्क्रियता	एक लाख चालीस हजार	ओडिशा सरकार
9.	3833/18/5/2013	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा निष्क्रियता	पचास हजार	ओडिशा सरकार
10.	4703/18/18/2013	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा निष्क्रियता	एक लाख	ओडिशा सरकार
11	20767/24/43/2011	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा निष्क्रियता	एक लाख	उत्तर प्रदेश सरकार
12.	26993/24/13/2014	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा निष्क्रियता	एक लाख	उत्तर प्रदेश सरकार
13.	34589/24/46/2014	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा निष्क्रियता	दो लाख	उत्तर प्रदेश सरकार
14.	1556/4/11/2013	झठी निहितार्थ	एक लाख	बिहार सरकार
15.	1310/34/6/2012-डब्ल्यूसी	सेना/अर्धसैनिक बैल द्वारा यौन उत्पीड़न	तीन लाख	झारखण्ड सरकार
16.	192/34/16/2013	जुल्म	पचास हजार	झारखण्ड सरकार
17.	44133/24/24/2013	पेंशन/मुआवजा का भुगतान न करना	पांच हजार	उत्तर प्रदेश सरकार

पुद्दुचेरी में जन सुनवाई एवं शिविर बैठक का आयोजन

दिनांक 16.12.2016 को पुद्दुचेरी में न्यायमूर्ति श्री एच. एल. दत्तू, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अध्यक्षता में सदस्यगण न्यायमूर्ति श्री डी. मुरूगेशन एवं श्री एस. सी. सिन्हा तथा आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल ने एक दिवसीय जन सुनवाई तथा शिविर बैठक का आयोजन किया।

न्यायमूर्ति दत्तू द्वारा कार्यक्रम के उद्घाटन के पश्चात्, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में, अनुसूचित जाति एवं जन जाति से संबंधित लोगों की शिकायतों एवं उनके अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में जन सुनवाई में 17 मामलों पर सुनवाई की गई। शिकायतकर्त्ताओं एवं संबंधित केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के पश्चात् 9 मामलों का निपटान कर दिया गया। एक मानव अधिकार उल्लंघन के प्रथम दृष्टया मामले में आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत मुख्य सचिव, पुडुचेरी सरकार से कारण बताओ नोटिस जारी कर तथा 7 अन्य मामलों में संबंधित प्राधिकारियों से रिपोर्टों की मांग की गई। इसके पश्चात् गैर सरकारी संगठनों के साथ विचार–विमर्श का आयोजन किया गया जिसमें उन्होंने मानसिक रोगों से शिकार लोगों के उपचार एवं देखभाल, बंधुआ मजदूरी, बाल–श्रम, संरचनात्मक भेदभाव एवं प्राधिकारियों द्वारा अत्याचारों के संबंध में महत्त्वपूर्ण सुझावों को साझा किया गया।

इसके पश्चात् गैर–सरकारी संगठनों द्वारा सुझाए गए महत्त्पूर्ण बिन्दुओं पर संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श का आयोजन किया गया। इसके साथ–साथ

शिविर बैठक एवं जन सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री एच. एल. दत्तू, सदस्यगण, न्यायमूर्ति श्री डी. मुरूगेशन एवं श्री एस. सी. सिन्हा तथा महासचिव, श्री एस. एन. मोहन्ती

इस दौरान आयोग द्वारा जारी नोटिसों पर तुरंत कार्रवाई, आयोग द्वारा विभिन्न दिशा–निर्देशों के साथ–साथ फ्लैगशीप के कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर गहन विचार किया गया। तदोपरांत, जन–सुनवाई एवं शिविर बैठक के संबंध में आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगणों द्वारा मीडिया को संबोधित किया गया।

'सुशासन, विकास एवं मानव अधिकार' पर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने दिनांक 20–21 दिसम्बर, 2016 को बंगलूरू में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों की सहभागिता के साथ कर्नाटक सरकार के सयुंक्त तत्वावधान में 'सुशासन, विकास एवं मानव अधिकार' पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।

न्यायमूर्ति श्री एच. एल. दत्तू, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इस कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मानव अधिकारों की रक्षा हेतु विधि सम्मत शासन अति महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार एवं जनसंख्या की अनियंत्रित बढ़ोतरी सुशासन की राह में दो महत्त्पूर्ण बाधाएं हैं। न्यायमूर्ति दत्तू ने कहा कि आयोग सुशासन, विकास एवं मानव अधिकार विषय पर इस क्षेत्रीय कार्यशाला के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर इस विचार–विमर्श के पश्चात् सुझाए गए महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार करने की योजना बना रहा है।

श्री टी. बी. जयचंद्र, विधि एवं संसदीय मामलों के मंत्री, कर्नाटक सरकार इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि थे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यगण न्यायमूर्ति श्री सिरियक जोसफ, न्यायमूर्ति श्री डी. मुरूगेशन, महासचिव श्री एस. एन. मोहंती एवं संयुक्त सचिव डॉ0 रणजीत सिंह ने इस कार्यशाला को संबोधित किया।

इस तरह की कार्यशाला का उद्देश्य सुशासन की प्रथा के उदाहरणों को साझा करने के लिए एक प्लेटफार्म प्रदान करना है जिससे मानव अधिकारों के संरक्षण, विधि सम्मत शासन, वितरण प्रणाली से संबंधित सेवाओं तथा लोक एवं गैर सरकारी क्षेत्रकों में भ्रष्टाचार निवारण को प्रभावित कर सके।

इस कार्यशाला के सहभागियों में वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारीगण, लोक कल्याण अधिकारी, श्रम अधिकारी, ब्लॉक/पंचायत अधिकारी, राज्य मानव अधिकार आयोग के प्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसायटी, अकादमिक एवं शोधार्थिगण शामिल हुए।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की शीत कालीन अन्तः शिक्षुता कार्यक्रम की शुरूआत

श्री जे. एस. कोचर, संयुक्त सचिव, प्रशिक्षण ने दिनांक 26.12.2016 को नई दिल्ली में आयोग की शीतकालीन अन्तः शिक्षुता कार्यक्रम की शुरूआत की। 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों से 55 विद्यार्थियों ने इसमें शामिल करने हेतु चयनित किया गया। उन्हें इस दौरान विभिन्न मानव अधिकार मुद्दों एवं कानूनों, गठन, भूमिका आयोग के क्रियाकलापों के संबंध में जानकारी दी जाएगी। कारागारों, पुलिस थानों एवं गैर–सरकारी संगठनों के क्रियाकलापों के संबंध में उन्हें जागरूक करने हेतु इन संस्थाओं का दौरा भी करवाया जाएगा।

अन्य महत्त्वपूर्ण दौरे/संगोष्ठी/कार्यक्रम/सम्मेलन

विषय	एन.एच.आर.सी. से प्रतिनिधि मंडल
दिनांक 12 दिसम्बर, 2016 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु प्रधान सचिव (खाद्य), उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बैठक	श्री एस. सी. सिन्हा, सदस्य
दिनांक 13 दिसम्बर, 2016 को इन्सटिट्च्यूट ऑफ गेरयाटिक मेन्टल हेल्थ, किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ का दौरा	श्री एस. सी. सिन्हा, सदस्य

दिसम्बर, 2016 में प्राप्त/निपटाए गए मामले (प्रारंभिक आकलन के अनुसार)

आयोग में प्राप्त नई शिकायतों की संख्या	**6648**
नए एवं पुराने मामलों सहित निपटाए गए मामलों की संख्या	**5730**
नये एवं पुराने मामलों सहित आयोग के विचाराधीन मामलों की संख्या	**36893**

आयोग के महत्त्वपूर्ण टेलीफोन नंबर

मदद केन्द्र : 011–2465 1330
शिकायत हेतु : फैक्स : 011–2465 1332

महत्वपूर्ण ई–मेल पता

jrlawnhrc@nic.in (शिकायत हेतु),
cr.nhrc@nic.in (सामान्य पूछताछ/पत्राचार हेतु)

मानव अधिकार पक्षकारों के लिए फोकल प्वाइंट

मोबाइल : 9810298900, फैक्स नं. 011–2465 1334
ई–मेल : hrd-nhrc@nic.in

यह सामग्री आयोग की वेबसाइट www.nhrc.nic.in पर भी उपलब्ध है

गैर सरकारी तथा अन्य संगठन आयोग के ह्यूमन राइट्स समाचार में प्रकाशित लेखों के व्यापक प्रसार हेतु आयोग का आभार मानते हुए पुनःप्रकाशित कर सकते हैं।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, सी–ब्लाक, जीपीओ कॉम्पलेक्स, आईएनए, नई दिल्ली–110023 की ओर से **जैमिनि कुमार श्रीवास्तव, उप–निदेशक (मीडिया एवं संचार),** द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित मुद्रकः डॉलफिन प्रिन्टो–ग्राफिक्स, 4ई/7, पाबला बिल्डिंग, झण्डेवालान एक्सटेशन, नई दिल्ली–110055
सम्पादक : जैमिनि कुमार श्रीवास्तव,

डिजाईन : जैमिनि कुमार श्रीवास्तव
हिंदी संस्करण : अनूदित राजभाषा एकांश, रा.मा.अ.आ.

संपादक संपर्क : दूरभाष : **91–11–24663281,** ई–मेलः **dydir.media.nhrc@nic.in**